दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

(18.12.1995 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS & RESOLUTIONS

SEVENTH REPORT

(Presented on 18.12.1995)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA, DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

(सातवां प्रतिवेदन)

(18.12.1995 को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल	सभापति
2.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	सदस्य
3.	डा. ए. के. वालिया	सदस्य
4.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
5.	श्री ओ. पी. बब्बर	सदस्य
6.	श्री दर्शन कुमार बहल	सदस्य
7.	श्री राम पाल करहाना	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

समिति को सूचित किया गया कि पिछले सत्र में पुरःस्थापित किए गए निम्नलिखित तीन विधेयक अभी तक लंबित हैं :-

क्र. सं.	विधेयक का नाम	सूचना की तिथि	पुरःस्थापन की तिथि	उपराज्यपाल की सिफारिश के लिये भेजी गई टिप्पणी की तिथि
1.	बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन-पोषण एवं कल्याण) विधेयक, 1995 कु0 पूर्णिमा सेठी	18.3.94	8.4.94	29.9.94
2.	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1995 श्री दीप चन्द बन्धु	6.3.95	अभी पुरः स्थापित नहीं किया गया	14.3.95
3.	पंजाबी को दूसरी राज-भाषा का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, 1995 श्री जग प्रवेश चन्द्र	14.3.95	अभी पुरः स्थापित नहीं किया गया	20.3.95

समिति ने निर्णय लिया कि क्रम संख्या-1 पर स्थित पहले ही पुरःस्थापित विधेयक तथा क्रम संख्या-2 एवं 3 पर दर्शाये गये विधेयक जिन्हें अभी पुरःस्थापित किया जाना है और चूंकि अभी उपराज्यपाल की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है इसलिये ये विधेयक पुरःस्थापित नहीं हो सकते हैं।

समिति ने निम्नलिखित दो नये विधेयकों, जिनकी सूचनाएं आगामी शीतकालीन सत्र में पुरःस्थापित किये जाने हेतु प्राप्त हुई है, के लिये उनके समक्ष दर्शाए गए समय के अनुसार समय का आबंटन करने का निर्णय लिया :-

आबंटित समय

1.	दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995 श्री आलोक कुमार	15 मिनट
2.	भारतीय तलाक अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 1995 श्री आलोक कुमार	30 मिनट

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि पिछले (छठे) सत्र में श्री मुकेश शर्मा तथा श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा क्रमशः 24.3.1995 तथा 31.3.1995 को प्रस्तुत किए गये दो संकल्प अभी तक लंबित हैं। चूंकि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिये निर्धारित एक दिन अर्थात् शुक्रवार की कार्य सूची में अधिकतम 5 संकल्पों को ही लिया जा सकता है इसलिये तीन और संकल्पों को लेने के लिये बैलेटिंग की गई तथा जिन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ उन्हें समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने निम्नलिखित पांच संकल्पों के निपटान के लिये प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये समय का आबंटन किया है :-

सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1. श्री मुकेश शर्मा	यह सदन संकल्प करता है कि भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी करने से पूर्व जमीन का मुआयना किया जाए और मौके पर जमीन खाली होने की स्थिति में ही भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी किये जाएं ।	30 मिनट
2. श्री राजेन्द्र गुप्ता (मालवीय नगर)	यह सदन संकल्प करता है कि समयबद्ध ढंग से सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सड़कों के रख-रखाव के प्रति एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से स्लम बोर्ड की ही भांति एक दिल्ली सड़क बोर्ड बनाया जाए, जिसका प्रगति संबंधी प्रतिवेदन मुख्य मंत्री द्वारा 6 माह के अंतराल से सदन में रखा जाए ।	30 मिनट
3. श्री नन्द किशोर गर्ग	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या को कम करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और ट्रैफिक जाम आदि समस्याओं का निदान करने के लिये सरकार एम.आर.टी.एस. (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम) की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करे ।	30 मिनट
4. डा. ए.के. वालिया	यह सदन संकल्प करता है कि पूर्वी दिल्ली को, जिसकी आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 1/3 है, कुल जल आपूर्ति का 1/3 भाग दिया जाए ।	30 मिनट

5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के विद्यालयों में प्रथम कक्षा से द्वादश कक्षा तक को (1 से 12) कक्षाओं के लिये निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों से वैदिक वाड्.मय भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला व साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के संबंध में प्रकाशित सभी भ्रांत धारणाओं एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत सभी मान्यताओं वाले अंशों को निकाल दिया जाए तथा उनके स्थान पर ऐतिहासिक गवेषणाओं व पुरातत्व साक्ष्यों से प्रमाणित तत्वपरक सिद्धांतों वाले अंशों का समावेश किया जाए ताकि छात्रों को भारतीयता की स्पष्ट सत्य पहचान का ज्ञान कराया जा सके । पाठ्य पुस्तकों में उक्त संशोधन हेतु शिक्षा शास्त्रियों, इतिहासविदों एवं विद्वान शिक्षकों की एक समिति गठित की जाए जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) तथा दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो को पाठ्यक्रम का संशोधित प्रारूप स्वीकृति हेतु भेजे ।	15 मिनट

समिति ने डा. ए. के. वालिया को और उनकी अनुपस्थिति में श्री नन्द किशोर गर्ग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

चरती लाल गोयल

सभापति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों

एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

Report by Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

SEVENTH REPORT

(Presented on 18.12.1995)

Constitution of Committee

1.	Shri Charti Lal Goel	Chairman
2.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
3.	Dr. A.K. Walia	Member
4.	Shri N.K. Garg	Member
5.	Shri O.P. Babbar	Member
6.	Shri Darshan Kumar Behl	Member
7.	Sh. Ram Pal Karhana	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The Committee was informed that the following three Bills from the previous Sessions are still pending:

Sl. No.	Name of the Bill	Date of Notice	Date of Introduction	Date of sending the note for seeking L.G.'s recommendations
1.	The Girl Child (Compulsory Education, Upbringing and Welfare) Bill, 1995 Ms Purnima Sethi.	18.3.94	8.4.94	29.9.94
2.	The Municipal Corporation of Delhi (Amendment) Bill, 1995 by Shri Deep Chand Bandhu.	6.3.95	Not yet introduced	14.3.95
3.	Adoption of Punjabi as the Second Official Language Bill, 1995, by Shri Jag Parvesh Chandra.	14.3.95	Not yet introduced	20.3.95

The Committee decided that the Bill at Sl. No. 1 already introduced and those at Sl. No. 2 and 3 yet to be introduced cannot be taken up as the recommendations of Lt. Governor, already requested for, are still awaited.

The Committee decided to allocate time for the following two new bills, notices of which have been received for the ensuing Winter Session:

		Time Allotted
1.	Delhi Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Bill, 1995 by Shri Alok Kumar.	15 Minutes

2. Indian Divorce Act (Amendment) Bill, 1995 by Shri Alok Kumar. — 30 Minutes

Resolutions

The Committee was informed that two Resolutions from the previous (Sixth) session - one moved by Shri Mukesh Sharma on 24.3.1995 and another by Shri Rajendra Gupta on 31.3.1995 - are still pending. Since a maximum of 5 Resolutions can be set down in the List of Business on given Friday, ballotting was held for 3 more Resolutions and those which found place in the ballotting were placed before the Committee. The Committee decided to allocate the time for disposal of resolutions as shown against each:

Name of Member	Text of Resolution	Time allocated
Shri Mukesh Shama	This House resolves that before issuance of notices of land acquisition, the land be inspected and notices issued only if the land is found to be vacant at the spot.	30 mts.
Shri Rajendra Gupta (Malviya Nagar)	This House resolves that for ensuring time bound implementation of various projects and to adopt and coordinate unified approach towards maintenance of roads, a Delhi Road Board on the lines of Delhi Slum Board be set up. Progress report of this be presented in the House by the Chief Minister after an interval of 6 months in a year.	30 mts.
Shri Nand Kishore Garg	This House resolves that "the Government may implement the MRTS (Mass Rapid Transport System) on the top priority basis with a view to minimise number of vehicles, and to check environmental pollution and traffic jams etc."	30 mts.
Dr. A.K. Walia	This House resolves that East Delhi having 1/3rd population of Delhi be given 1/3rd of the total water supply of Delhi.	30 Minutes
Shri Gauri Shankar Bhardwaj	This House resolves that all the portions having illusory concepts and views based on Western ideology be deleted from the text books prescribed for primary to Senior Secondary level (from class I to XII) in Delhi Schools published about vedic literature, Indian culture, Political Science, Sociology and philosophy and the same be substituted by relevant facts/ portions as have been established by historical reseaches and archaeological evidence so as to make the students aware of the real Indian vision and facts	15 Minutes

with a view to carry out
the above curriculum amendments.
A Committee of Educational Experts
including historians and eminent
academicians be constituted who
shall submits recommendation to NCERT
and Delhi Text Book Bureau regading
revised syllabus for approval.

The Committee authorised Dr. A.K. Walia and in his absence Shri Nand Kishore Garg to presentthe Report.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN,
Committee on Private Members' Bills & Resolutions.